सकूक

वर्तमान दौर में जो वित्तीय संस्थान स्थापित हुए हैं उनमें से कुछ से मानव ज़रूरतें और आार्थिक ज़रूरतें जुडी हैं और अपने मौलिक उद्देश्यों की दृष्टि से वे इस्लामी शरीअत के स्वभाव से टकराती नहीं हैं लेकिन उनके लिए ऐसी कार्य विधि अपनायी गयी है जिसमें शरअी दृष्टिकोण से कुछ बुराइयां दाखिल हो गई हैं। उलमाए इस्लाम का कर्तव्य है कि वे उनका ऐसा विकल्प पेश करें जो अपनी कार्य विधि की दृष्टि से भी इस्लामी शरीअत के अनुकूल हों, इसी तरह की एक कोशिश इस्लामी वित्तीय संस्थानों ने सूद पर आधारित बाउन्डस के मुक़ाबले ''सकूक'' की सूरत में की है जिसकी बुनियाद विभिन्न शरअी पाबन्दियों पर रखी गयी है लेकिन इस की सूरत में बहुत नया पन है और सेमिनार में भाग लेने वालों का एहसास है कि इस मसले की सूरत को और अधिक समझने और उस पर शरअी हुक्म की ततबीक़ के सिलसिले में और अधिक सोच विचार करने की ज़रूरत है। इस लिए ''प्रस्ताव कमेटी'' की रिपोर्ट को रिकार्ड किया जाता है और इस मसले को भविष्य के लिए टाले रख जाता है।

☆☆☆

नोटः 22 वां फ़िक़्ही सेमिनार (अमरोहा, यू0पी) दिनांक 25-27 रबीउस्सानी 1434 हि0 - 9-11 मार्च 2013 ई0